न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 104/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		सुगना पत्नि रामचन्द्र निवासी सांसी कॉलोनी के पास न्यू एयरपोर्ट रोड, रातानाडा जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री राजकरण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 22.07.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी सुगना पत्नि रामचन्द्र निवासी सांसी कॉलोनी, न्यू एयरपोर्ट रोड, रातानाडा जोधपुर के विरूद्व यह प्रकरण जब्तसुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 02 रिफलिंग मोटर मय पाईप मय नोजल, 02 इलेक्ट्रिक कांटे को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 27.01.2025 को पुलिस विभाग की सूचना एंव जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर जिला प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा सांसी कॉलोनी, न्यू एयरपोर्ट रोड, रातानाडा जोधपुर स्थित स्थान की आकस्मिक जांच की गई, मौके पर अप्रार्थी सुगना पत्नि रामचन्द्र द्वारा घर के आगे स्थित कमरे में 05 घरेलु सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया, जिनमें से एक सिलेण्डर इलेक्ट्रोनिक वेईंग मशीन पर उल्टा रखकर टेक्सियों तथा व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों में अवैध गैस रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया।

मौके पर पाये गये कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र.सं.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	खाली सिलेण्डर का वजन	कुल वजन मय गैस	गैस का वजन (किलो में)
1.	ईण्डेन	960756T	15.4 कि.ग्रा.	29.6 कि.ग्रा.	14.2 कि.ग्रा.
2.	ईण्डेन	3601856	16.0 कि.ग्रा.	29.0 कि.ग्रा.	13.0 कि.ग्रा.

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

3.	ईण्डेन	036824T	15.3 कि.ग्रा.	15.3 कि.ग्रा.	00.0 कि.ग्रा.
4.	ईण्डेन	199068T	15.8 कि.ग्रा.	24.9 कि.ग्रा.	09.1 कि.ग्रा.
5.	ईण्डेन	518284T	15.4 कि.ग्रा.	15.4 कि.ग्रा.	00.0 कि.ग्रा.

उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा रिफलिंग सामग्री को जब्त सरकार किया जाकर श्री सुरेशचंद गुप्ता पुत्र द्वारकाप्रसाद गुप्ता निवासी 202 बीजेएस जोधपुर, प्रतिनिधि नाकोडा इंडेन गैस एजेंसी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व अवैध रिफलिंग में उपयोग किया जाना पाया गया जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों तथा 02 रिफलिंग मोटर मय पाइप मय नोजल एंव 02 इलेक्ट्रोनिक कांटे को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री राज करण बारहठ प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरो (इण्डेन) का बिना वैध दस्तावेज के अवैध भण्डारण कर अवैध रूप से गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग लिए जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर व गैस रिफलिंग सामग्री को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को न्यायालय हाजा से जारी नोटिस क्रमांक 222 दिनांक 05.05.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सिंह ने अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी का उक्त अवैध रिफलिंग कार्य से कोई सरोकार नहीं है एंव उक्त सिलेण्डरों एंव रिफलिंग सामग्री अप्रार्थी के नहीं होना बताया गया।

हमने विभागीय पेरोकार एंव अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर मनन करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री अप्रार्थी के स्वामित्व की होने से ईन्कार किया तथा अवैध रिफलिंग कार्य नहीं किया जाना बताया परन्तु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार स्पष्ट है कि वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी सुगना पत्नि रामचन्द्र द्वारा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों (इण्डेन) का बिना वैद्य दस्तावेजों के अवैध भण्डारण कर इनमें से एक सिलेण्डर इलेक्ट्रोनिक कांटे पर रखा हुए व 02 रिफलिंग मोटर मय पाइप मय नोजल एंव 02 इलेक्ट्रोनिक कांटे का उपयोग अवैध गैस रिफलिंग कार्य में किया गया है। मौका फर्द अनुसार अप्रार्थी सुगना द्वारा अवैध रूप से टैक्सियों में एलपीजी गैस रिफलिंग किया जाना स्वीकार किया, जिस पर अप्रार्थी द्वारा अंगुठा निशान द्वारा स्वीकृति दी गई है। जांच टीम को देखकर अवैध गैस रिफलिंग करवाते टैक्सी चालक का मौके से फरार होना बताया गया। जब्तसूदा सिलेण्डरों में नाप किये जाने पर निर्धारित मात्रा से कम गैस पायी गयी एंव मौके पर रिफलिंग सामग्री का मौकास्थल पर पाया जाना, एंव मौकाफर्द पर अप्रार्थी का अंगुष्ठ निशान स्वीकृति होने से स्पष्ट है कि उक्त जब्तसूदा सिलेण्डर एंव रिफलिंग सामग्री अप्रार्थी सुगना के स्वामित्व के है एंव उक्त का अवैध गैस रिफलिंग कार्य में उपयोग किया गया है, जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

(प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर (इण्डेन) तथा 02 इलेक्ट्रोनिक कांटे एंव 02 रिफलिंग मशीनें मय पाइप मय नोजल को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त जब्तसुदा कुल 05 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं रिफिलिंग सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर